(वाद सं०–5136/4/24/2023)

04.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, प्रर्विला देवी, के पति, अनुज माँझी, की दिनांक–11.08.2022 को विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु पर क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **प्रबन्ध निदेशक, South Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। **उप महाप्रबन्धक, SBPDCL, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **''परिवादी के पति, अनुज माँझी, की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु पर नियमानुसार उसके आश्रित पत्नी, प्रर्विला देवी, को उसके खाता संख्या–31080017003377744 के माध्यम से दिनांक–13.12.2023 को 04 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कर दिया गया है।''**

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में **South Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना** के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ South Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 24–17/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव